सं.एन.-1-52/2019-प्रशा.I
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(वीबीडी अनुभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र हेतु सहायक निदेशक (रा.भा.) पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र हेतु सहायक निदेशक (रा.भा.) पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री गणेश कुमार, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 414-D, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110011 को लिखित रूप में या ई-मेल पते kumar.g@nic.in पर भेज सकते हैं।

नई दिल्ली
दिनांक:

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंबर: 23063481

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर, 2023

सा.का.नि. ..... संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली (समूह-क पद) भर्ती नियम, 1986 के अधिक्रमण में, जहां तक वे सहायक निदेशक (रा.भा.) (क्रम संख्या 1) के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय जिन्हें इस तरह के अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, के बारे में राष्ट्रपति इसके द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र में सहायक निदेशक (रा.भा.) के पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) ये नियम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, सहायक निदेशक (रा.भा.) (समूह-'क' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उक्त पद से संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट किया जाएगा।

3. भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हता आदि- भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट होंगे।

4. निरर्हता- कोई व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है जिसके पति या पत्नी जीवित हैं; या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या अनुबंध किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु केन्द्र सरकार को, यदि इस बात का समाधान हो जाता है। कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के तहत ऐसा विवाह अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह आदेश द्वारा, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

6. व्यावृति- इन नियमों की कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान की जाने वाली आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य विशेष रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु- सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (रा.भा.)	1 (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा (राजपत्रित गैर-अननुसचिवीय , समूह 'क')	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु.56,100–1,77,500/-)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता, यदि कोई हो, पदोन्नति के मामले में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	2 साल	संयुक्त विधि (पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति)

पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है?	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हो ।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार के अधिकारी जो:- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते है या (ii) पीबी-2 में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में तीन साल की सेवा के साथ मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड वेतन 4600 रुपये या समकक्ष के साथ 9300-34800 रुपये; या (iii) पीबी-2 में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा के साथ मूल संवर्ग/विभाग में ग्रेड वेतन 4200 रुपये या समकक्ष के साथ 9300-34800 रुपये; या (ख) शैक्षिक योग्यता और अनुभव निम्नानुसार है: – (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री, जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; या	समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- (1) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष। (2) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य। (3) स्वास्थ्य सेवाओं के उप महानिदेशक/सहायक, स्वास्थ्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के साथ हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में या हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; या हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी के साथ अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; या हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री, हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में या दोनों में से किसी एक को परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरे को डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में। (ii) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अंतर्गत हिन्दी में शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) का उपयोग/प्रयोग करने तथा अंग्रेजी से हिन्दी अथवा इसके विपरीत अनुवाद कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव। या केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिंदी या अंग्रेजी में शोध का तीन साल का अनुभव। नोट 1: यदि पीबी 3 में विभागीय जूनियर अनुवादक 9300-34800/- रुपये और ग्रेड में 8 साल की नियमित सेवा के साथ 4200/- रुपये का ग्रेड पे और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है और यदि विभागीय उम्मीदवार को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, इसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर 3 साल से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य (4) प्रशासन के निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (एनसीवीबीडीसी, दिल्ली से संबंधित) - सदस्य	

[फा. सं.1-52/2019- प्रशा.- I]

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार